कृपया प्रकाशनार्थ **9 मई 2014**

भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक द्वारा शुक्रवार, 9 मई 2014 को मुंबई में पत्रकार परिषद में किया गया वक्तव्य

मुंबई की मतदाता सूची फिर से नई बनाएं : राम नाईक

मुंबई, शुक्रवार: ''मतदाता सूची की पवित्रता तभी बर्करार रहेगी जब वह दोष रहीत रहेगी और तभी सही मायनों में संसदीय गणतंत्र होगा. किंतु मुंबई में मतदाता सूची की पवित्रता बनाएं रखने में निर्वाचन आयोग पूरी तरह से असफल रहा है. आनेवाले विधानसभा चुनाव सुचारु रुप से हो इसलिए जरुरी है कि निर्वाचन आयोग को विशेष रुप से घर-घर जाकर मुंबई, ठाणे व पुणे की मतदाता सूची फिर से तैयार करनी चाहिए'', ऐसी माँग भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने की है. श्री. नाईक मुंबई में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

नये सिरे से मतदाता सूची तैयार करने की माँग के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,''हालही में 24 अप्रैल को मुंबई में हुए आम चुनाव के बाद मुंबई की मतदाता सूची की जानकारी का जब विश्लेषण किया गया तब ध्यान में आया कि वर्ष 2009 में मुंबई की 6 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 97,79,650 मतदाता थे, तो वर्ष 2014 की मतदाता सूची में इन क्षेत्रों में कुल 98,97,699 मतदाता हैं. इसका मतलब पाँच वर्षों में मुंबई में मात्र 1,18,049 मतदाता बढ़े. साथ ही साथ मुंबई शहर निर्वाचन अधिकारी तथा मुंबई उपनगर के निर्वाचन अधिकारिओं ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इन पाच वर्षों में नये सिरे से नाम दर्ज करनेवाले मतदाता 18,93,686 है, तो जिनके नाम कम कर दिए गए ऐसे 16, 23, 612 मतदाता है. इसका मतलब बढे हुए मतदाताओं की संख्या और नाम काट दिए गए मतदाताओं की संख्या में 2,70,074 का अंतर है. नाम काट दिए गए मतदाताओं की संख्या चौंका देने वाली यानी 16, 23, 612 इतनी ज्यादा है. इतनी बड़ी मात्रा में नाम काटते समय निर्वाचन अधिकारिओं को कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए था. मतदाताओं को 'नोटिस देना, मतदाता उनके पते पर नहीं मिले तो 'पंचनामा' करना और उसके बाद उनके नाम निकालना, जिनके छायाचित्र नहीं हैं, उनके छायाचित्र प्राप्त करना, आदि कई काम सही ढंग से नहीं किए गये, जिसके कारण मतदाता सूची की पवित्रता नष्ट हुई है. इस संबंध में अब एक ही उपाय है और वह है घर-घर जाकर नयी मतदाता सूची तैयार करना. मुंबई के साथ-साथ ठाणे और पुणे की मतदाता सूचिओं में भी गड़बड़ी हुई है. इसलिए वहाँ की मतदाता सूची भी फिर से तैयार करने की आवश्यकता है.''

मतदाता सूची दोष रहित हो इसके लिए किये गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, ''2004 की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर दुबार मतदाता हैं, यह स्पष्ट होने पर मैंने उसकी जाँच करने की माँग 4 अप्रैल 2008 को तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री.एन. गोपालस्वामी से मिलकर की. बाद में लोकसभा क्षेत्रों की पुनर्रचना के पहले के उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्र - मालाड, कांदिवली और बोरीवली के मतदाताओं की मुंबई के सभी 34 और ठाणे की 6 विधानसभाओं के मतदाता सूची में जब जाँच की. तब इन तीन विधानसभा क्षेत्रों के 18,02,877 मतदाताओं में से 3,57,520 यानी 20 प्रतिशत मतदाताओं को दो दो बार शामिल किए गए है, यह स्पष्ट हुआ. ऐसे मतदाताओं की मतदाता सूची के नाम और अनुक्रमांको के साथ हमने सूची बनायी और उसे 30 अप्रैल 2008 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री. देवाशिष चक्रवर्ती के सामने प्रस्तुत की. 2008 व 2009 में निर्वाचन आयोग तथा महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समय-समय पर विचार विमर्श करने के बाद अन्त में देश के तत्कलीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री.एस.वाय.कुरेशी को 27

फरवरी 2012 को मिलकर उनसे भी ऐसी माँग की. चुनाव आयोग के त्रिसदस्यीय समिति के सामने भी हमने जानकारी दी. उसके बाद मतदाता सूची में सुधार करने का आश्वासन चुनाव आयोग ने दिया. 2014 के चुनाव की दृष्टि से जब नये सिरे से मतदाता सूची बनाने का काम शुरु हुआ तब 10 जुलाई 2013 को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री. नितिन गद्रे से भेंट की, तथा 15 जुलाई 2013 को मुंबई के चुनाव अधिकारी श्री. चं.व. ओक से विस्तार से चर्चा कर उनसे निर्दोष मतदाता सूची बनाने का अनुरोध हमने किया था. तब श्री. ओक के पास ही मुंबई उपनगर जिला की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी थी. इस चर्चा के दौरान हमने जो सुझाव दिये थे वह निम्ननुसार हैः

1. मतदाताओं के नामों की जाँच घर-घर जाकर हो, जिससे वास्तव में ऐसे घर हैं भी या नहीं यह स्पष्ट होगा. अगर घर नहीं मिलें तो जाँच करनेवाले को वैसा प्रमाणपत्र देना चाहिए और फिर उसके आधार पर नाम काटने की कानूनी प्रक्रिया की जा सकती है.
2. झूठा मतदान न हो, इसलिए मतदाता सूची में सौ प्रतिशत मतदाताओं के छायाचित्र होने चाहिए. जिनके छायाचित्र नहीं हैं उन्हें नोटिस देकर छायाचित्र देने के आदेश जारी करने चाहिए. अगर दिये हुए समय में छायाचित्र न आयें तो फिर कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर ऐसे मतदाताओं के नाम भी निकाले जाएं.
3. जिनके नाम दो दफे है उन्हे नोटिस देकर कौन सा नाम रखें और कौन सा निकाले यह पूछना चाहिए. उनके भी छायाचित्र लेने चाहिए.
4. घर-घर जाकर जाँच करते वक्त अगर किसी जगह पुनर्विकास का काम शुरु होने के कारण मतदाता वहाँ नहीं रहते होंगे मगर उनके छायाचित्र होंगे तो उचित नियम बनाकर उनके मतदान का अधिकार नही छिन पाए यह देखना चाहिए.
5. घर-घर जाकर जाँच करते समय अगर मतदाता मृत है ऐसी जानकारी मिलें तो उनके नाम काटने के लिए उनके परिवार के मतदाता या अन्य मतदाताओं का हस्ताक्षर लेना चाहिए, जिससे बाद में विवाद न हो.

अगर समय रहते इन सूचनाओं पर कारवाई कर मुंबई की मतदाता सूची का पुनर्निर्माण किया होता, तो इस बार चुनाव में जो गडबडी हुई वह नही हो पाती. ''

''मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदान की पर्ची देने का सही निर्णय इस बार चुनाव आयोग ने किया. अगर पर्ची बाँटनेवाले कर्मचारियों ने जो घर या मतदार नहीं मिले उसका सही हिसाब कर वह पर्चियाँ चुनाव अधिकारियों को वापस की होगी तो ऐसी पर्चियों की संख्या भी जाहिर करनी चाहिए, जिससे चुनाव प्रक्रिया में कितनी गडबडी है, कितनी कार्यक्षमता नही है '', यह भी स्पष्ट होगा, ऐसा भी श्री. नाईक ने कहा.

नयी मतदाता सूची तैयार करने के संदर्भ में श्री. राम नाईक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री. व्ही.एस.संपत को पत्र भेजा है और मुलाकात का समय भी माँगा है. ''चुनाव आयोग के पास जिला स्तर पर काम करने के लिए खुद के कर्मचारी नहीं होते. इसका भी चुनाव आयोग की कार्यक्षमता पर परिणाम होता है. यह ध्यान में लेकर चुनाव आयोग तथा निर्वाचित हो कर आनेवाली नयी सरकार को विचार-विमर्श कर इस समस्या का हल निकालना चाहिए. इसके लिए भी मैं भविष्य में प्रयास करुंगा'', इन शब्दों में अंत में श्री. राम नाईक ने अपने विचार प्रकट किये.

(कार्यालय मंत्री)